

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक प.17(11) शिक्षा-2/अन्तर-जिला स्था/2016 पार्ट-2 जयपुर दिनांक 19.07.2018 के क्रम में निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं समकक्ष का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 07/08/2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

SR	NAME	POST	SUB	वर्तमान पदस्थापन	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
1	मनोज कुमार	Teacher L-II	Hindi	राबाउप्रावि डिण्डोली प.स. राशमी	CHITTAURGA RH	GOVT. SEC. SCHOOL JAITPURA, UDAIPURWATI (08050805402)(UDAIPURWATI)	Jhunjhunu
2	बिन्दूसिंह ओलखा	Teacher L-II	science/ Math	राउमावि बच्छरारा तह.रतनगढ	Churu	GOVT. SR. SEC. SCHOOL DHOLAKHERA, UDAIPURWATI (08050805108)(UDAIPURWATI)	Jhunjhunu
3	सुनील कुमार	Teacher L-II	Hindi	रामावि बंवली प.स. नावा जिला नागौर	nagaur	SIPAHI SHAHEED DEVKARAN GOVT. ADARSH SR. SEC. SCHOOL, BUDANIA, CHIRAWA (08050302503)(PILANI)	Jhunjhunu
4	सावित्रि देवी	Teacher L-II	ENGLISH	राबाउमावि कोठारिया,प.स.त्र. खमनौर	Rajsamand	SETH MAHADEV PRASAD MANAKSYA GOVT. ADARSH SR. SEC. SCHOOL MANAKSAS, UDAIPURWATI (08050806904)(UDAIPURWATI)	Jhunjhunu
5	SUBHITA POONIA	Teacher (III Gr.) Level 1	---	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KANANA	BARMER	रामावि काकडा बुहाना	Jhunjhunu
6	अंजू चौधरी	Teacher L-II	SST	राउमावि नेवरीपंचभद्रा	Barmer	राबामावि बनगोटडी	Jhunjhunu
7	SMT. NIVEDITA SHARMA	Teacher (III Gr.) Level 2	Hindi	GOVT. SEN.SEC. KETHUDA	BUNDI	GOVT. SR. SEC BALIKA TALERA (08230405612)	BUNDI
8	PARVEEN KUMARI	Teacher (III Gr.) Level 2	Hindi	GOVT.GIRLS SR.SEC.SCHOOL, CHARBHUJA	RAJSAMAND	रामावि, नारनोद मालीगांव	JHUNJHUNU
9	नन्द लाल मेघवाल	L II	Social Science	मावि जटावा मनोहरथाना झालावांड वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय	Baran	राबामावि सारथल प.स. छीपाबडोद	Baran

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :-

- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं कराया जावे साथ ही ऐसे प्रकरण को तत्काल निदेशालय के ध्यान में लाया
- ऐसे अध्यापक जिनकी प्रथम नियुक्ति 31/12/2012 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।
- प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31/12/2008 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, किन्तु 31/12/2008 अथवा उससे पूर्व नियुक्ति अध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण प्रतिबन्धित से गैर प्रतिबन्धित जिले में किये जाने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जा सकेगा।
- स्थानान्तरण आदेश में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से विकलांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परिवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहे हो एवं स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होकर आता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नॉनटीएसपी में स्थानान्तरण प्रकरण हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- लेवल-1 के अध्यापकों को लेवल-1 पर एवं लेवल-2 के अध्यापकों को लेवल-2 के पद के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। लेवल-2 के अध्यापकों को सम्बन्धित विषय (अर्थात् गणित/विज्ञान के शिक्षक को गणित/विज्ञान के पद पर, अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी के पद पर, हिन्दी के शिक्षक को हिन्दी के पद पर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के पद पर तथा तृतीय भाषा के शिक्षक को सम्बन्धित तृतीय भाषा के पद पर) के पद पर ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे।
- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक का स्थानान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

(Handwritten Signature)

SR	NAME	POST	SUB	वर्तमान पदस्थापन	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
----	------	------	-----	------------------	------	--------------------	------

- 9 स्वैच्छा से अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिको को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 10 यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भीर्त से पदस्थापित परीवीक्षाधीन अध्यापक का हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं
- 11 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय कार्मिक की स्वैच्छा से स्थानान्तरण होने के कारण पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें ।
- 12 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।
- 13 स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।

(Handwritten Signature)

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/तृतीय श्रेणी/स्थानान्तरण/वोल-1/कैम्प जयपुर/18

दिनांक- 30.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 समस्त उप निदेशक,, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य जिले से आपके जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता के संबंध में संबंधित कार्मिक का जिलो परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

4 संबन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।

5 SA (Computer Science) विभागीय सेक्रेटरी पर
प्रकाशनार्थ ।

(Handwritten Signature)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक प.17(11) शिक्षा-2/व.अ./अन्तर मण्डल स्था/2016 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 20/07/2018 के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों एवं समकक्ष का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित/स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 07/08/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

SNO	Name of Employee	Sanction Post	English	वर्तमान पदस्थापित स्थान	जिला	मण्डल	स्थानान्तरित स्थान राउमावि/रामावि	जिला	मण्डल
1	ASHOK KUMAR	Senior Teacher (II Gr.)	English	GOVERNMENT SENIOR SECONDORY SCHOOL, INDROI	Barmer	Jodhpur	GOVT .HIGHER SECONDARY GORAJI KA NIMBAHERA	Chittorgarh	Udaipur
2	JAIKARAN SINGH	Senior Teacher (II Gr.)	English	GOVT. SEC. SCHOOL, ROHILA GANV	Barmer	Jodhpur	G.S.SEC.S.NAVANIA (08260424701)	Udaipur	Udaipur
3	Vinita Sharma	Senior Teacher (II Gr.)	MATHS	GGSS ALAY	Nagore	Ajmer	G.S.S.S. AAMLI	Udaipur	Udaipur
4	MANOJ SONI	Senior Teacher (II Gr.)	English	GSS LAL PURA	Jodhpur	Jodhpur	G.S.SEC.S.VATI, BADGAON (08260208401)(GOGUNDA (ST))	Udaipur	Udaipur
5	Gatu Lal Roat	PET (II Gr.)		GOVT. SECONDARY SCHOOL, AKRABHATTA	Sirohi	Pali	G.SR.SEC.S. LILWASA (08270304601)	Dungarpur	Udaipur
6	BINA SHARMA	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	GOVT. SR. SEC SCH_CHELAK	Jaisalamer	Jodhpur	G.SR.SEC.SCHOOL, DUSARANA BADA (08030507401)	Bikaner	Bikaner
7	LATA KHURSIJA	Senior Teacher (II Gr.)	Science	GOVT.A. SR.SEC.SCHOOL BAGRI NAGAR	Pali	Pali	GOVT.SR.SEC.SCH. MAHIYANWALI (08010127703)	Ganganagar	Bikaner
8	रघुवीर सिंह डेलू	व.अ.	सा. विज्ञान	राआउमावि पादर त. रेवदर	Sirohi	Pali	रामावि पदमपुरा	Ganganagar	Bikaner
9	मनोज कुमार	व.अ.	सा. विज्ञान	राउमावि सुलताना	Jaisalamer	Jodhpur	राउमावि मिर्जावाली मैर	Hunmangarh	Bikaner

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :-

- यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन कार्मिक का है तो कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके सम्बन्धित विषय के स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- दिनांक 01.01.2015 को एवं उसके पश्चात् वरिष्ठ अध्यापक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति वाले वरिष्ठ अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नोन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

(Handwritten Signature)

- 8 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 9 स्वेच्छा से अन्तर-मण्डल स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भता देय नहीं होगा।
- 10 नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक/वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।
- 11 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का स्थानान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे। प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में संबंधित विषय के पद के लिए ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 12 स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण/शाला दर्शन के माध्यम से ही कार्यग्रहण अथवा कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 13 ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका परिविक्षा काल पूर्ण हो चुका है तथा प्रतिबन्धित/गैर प्रतिबन्धित जिले से प्रतिबन्धित जिले हेतु स्थानान्तरण किया गया है तो उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/कैम्प जयपुर/स्थानान्तरण/वोल-1/18

दिनांक-30.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके मण्डल से अन्य मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य मण्डल से आपके मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता के संबन्ध में संबंधित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 4 संबन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।
5. SA (Computer Section) विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर